न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/12/2025	2025/105	10.02.2025	10-06-2026

1– भीमसिंह पुत्र सुभाष,
2– हजारीलाल पुत्र सुभाष पौत्रान श्योकरण जाति जाट निवासी झाबुआ तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा। हाल निवासी शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

अपीलान्टान

बनाम

1– जगदीश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी झाबुआ तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा। हाल निवासी शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
2– सुभाष पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी झाबुआ तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा। हाल निवासी शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0) **(मृतक)**
3– अशरफी पुत्री श्योकरण पत्नि मोहरसिंह– **फौत**
3/1 विरेन्द्र पुत्र अशरफी,
3/2 महेन्द्र अशरफी जातियान जाट निवासीयान उजोली तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा।
4– बसन्ती पुत्री श्योकरण पत्नी हरिराम,
5– शरबती पुत्री श्योकरण पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी हाल ग्राम उजोली तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा।
6– बिमला पुत्री श्योकरण पत्नी सुमेर जाति जाट निवासी ग्राम जखोपुर तहसील कोटकासिम।
7– तहसीलदार कोटकासिम।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनाक 16.06.2016 नामान्तकरण संख्या 2210 वाके ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। जिसके द्वारा विधि विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में मृतक श्योकरण की विरासत का नामान्तकरण र्दज कर निर्णित किया गया है, को निरस्त किये जाने बाबत।

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2210 निर्णय दिनांक 16.06.2016 वाके ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 मिन. 759 मिन. 750 मिन. 751, 759 मिन. कुल किता 12 रकबा 42 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर में श्योकरण पुत्र छाजिया जाट के 1/4 हिस्सा भूमि स्थित है, आराजी श्योकरण की कब्जे काश्त खातेदारी की स्वअर्जित आराजी थी। जोकि अपीलान्ट के दादा थे। जिनका स्वर्गवास दिनाक 29.11.2015 को हो गया। उक्त आराजी मृतक श्योकरण की स्वयं अर्जित थी, जिसकी वसीयत दिनाक 26.08.1991 को मृतक खातेदार श्योकरण द्वारा अपने जीवनकाल में विधिक प्रकिया एवं प्रावधानो के अनुसार अपीलान्टान के हक में उप पंजियक मुण्डावर से समक्ष पंजीबद्व करायी गयी। श्योकरण के स्वर्गवास उपरान्त अपीलान्टान विवादित

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

आराजी पर वसीयत के आधार पर मौके पर काबिज चले आ रहे है। वसीयत के आधार पर अपीलान्टान मृतक के कानूनी व जायज वारिस काबिज जायदाद है। जिनके नाम ही मृतक श्योकरण की विरासत का नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था, लेकिन तहत अदालत द्वारा गलत व बेजा तौर पर कब्जा व मौके के खिलाफ मृतक श्योकरण का विरासत नामान्तकरण संख्या 2210 दिनाक 16.06.2016 को अपीलान्टान के बजाय रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगा. 6 के पक्ष में स्वीकार किया गया है। अपीलान्टान तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगा. 6 एक ही परिवार के सदस्य है, तथा मृतक श्योकरण के जायज व कानूनी वारिस काबिज जायदाद है। परिवार का सर्जरा निम्नप्रकार से है:– श्योकरण (मृतक) जगदीश (पुत्र), सुभाष (पुत्र), अशरफी (पुत्री), बसन्ती (पुत्री), शरबती (पुत्री), बिमला (पुत्री), भीमसिंह–हजारीलाल (अपीलान्टान) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 विवादित आराजी से गैरकाबिज एवं गैरवास्ता है, जिनका कोई कब्जा विवादित आराजी पर श्योकरण के मरने के बाद नही है, लेकिन तहत अदालत ने बिना मौका की जॉच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुऐ निवेदन किया गया है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2210 वाके ग्राम शीलगांव में वर्णित आराजी खातेदार काश्तकार श्योकरण पुत्र छाजिया जाति जाट निवासी झाबूआ के नाम दर्ज रिकार्ड थी, खातेदार का देहान्त हो जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिक वारिसान की जॉच की जाकर विधिवत नामान्तकण मृतक श्योकरण का वारिसान के नाम दिनाक 16.06.2016 को दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज नामान्तकरण को दिनाक 16.06.2016 को स्वीकार किया गया है। तहत अदालत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 विधिक वारिसान होने के नाते नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपीलान्ट मृतक श्योकरण के विधिक वारिसान नही है, न ही उक्त आराजी से उनका कोई वास्ता है। अपीलान्ट का कहन है, कि दिनाक 26.08.1991 को मृतक खातेदार श्योकरण द्वारा उनके पक्ष में वसीयत की गयी थी, यदि वसीयत की गयी थी तो मुताबिक वसीयत के तहत अदालत के समक्ष नामान्तकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। तहत अदालत द्वारा विधिक जॉच कर विधिवत नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालय द्वारा पारित नजीर RBJ 370 पेश की गई। राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु एक्ट 1956– धारा 135– नामान्तकरण की कार्यवाही (Fiscal) सरकारी कर से संबंधित कार्यवाही है। जिससे फरीकेनो के अधिकारों का निर्णय नहीं किया जाता अगर कोई व्यक्ति भूमि पर अपना स्वामित्व चाहता है, तो न्यायालय में अपने अधिकारो के बाबत वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एंव अपील में वर्णित तथ्यो पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, नामान्तकरण संख्या 2210 वाके ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर में वर्णित आराजी श्योकरण पुत्र छाजिया जाट के नाम दर्ज रिकार्ड थी। तथा आराजी श्योकरण की कब्जे काश्त खातेदारी की स्वअर्जित आराजी थी। जोकि अपीलान्ट के दादा थे। जिनका स्वर्गवास दिनाक 29.11.2015 को हो गया। मृतक खातेदार श्योकरण द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलान्टान के हक में एक वसीयत उप पंजियक मुण्डावर से समक्ष पंजीबद्व करायी गयी। वसीयत के आधार पर अपीलान्टान मृतक के कानूनी व जायज वारिस काबिज जायदाद है। जिनके नाम ही मृतक श्योकरण की विरासत का नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था, लेकिन तहत अदालत द्वारा गलत व बेजा तौर पर कब्जा व मौके के खिलाफ मृतक श्योकरण का विरासत नामान्तकरण संख्या 2210 दिनाक 16.06.2016 को अपीलान्टान के बजाय रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगा. 6 के पक्ष में स्वीकार किया गया है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया नामान्तकरण संख्या 2210 वाके ग्राम शीलगांव में वर्णित आराजी खातेदार काश्तकार श्योकरण पुत्र छाजिया जाति जाट निवासी झाबूआ के नाम दर्ज रिकार्ड थी, खातेदार का देहान्त हो जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिक वारिसान की जॉच की जाकर विधिवत नामान्तकण मृतक श्योकरण के विधिक वारिसान की जॉच कर विधिक वारिसान के नाम दिनाक 16.06.2016 को दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज नामान्तकरण दिनाक 16.

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

06.2016 को स्वीकार किया गया है। तहत अदालत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 विधिक वारिसान होने के नाते नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपीलान्ट मृतक श्योकरण के विधिक वारिसान नही है, अपीलान्ट का कहन है, कि दिनाक 26.08.1991 को मृतक खातेदार श्योकरण द्वारा उनके पक्ष में वसीयत की गयी थी, यदि वसीयत की गयी थी तो मुताबिक वसीयत के तहत अदालत के समक्ष नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु विधिक प्रावधानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए थी। तहत अदालत द्वारा विधिक जॉच कर विधिवत नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर RBJ 370 प्रकरण पर चस्पा होती हैं। राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु एक्ट 1956– धारा 135– नामान्तकरण की कार्यवाही (Fiscal) सरकारी कर से संबंधित कार्यवाही है। जिससे फरीकेनो के अधिकारों का निर्णय नहीं किया जाता अगर कोई व्यक्ति भूमि पर अपना स्वामित्व चाहता है, तो न्यांयालय में अपने अधिकारो के बाबत वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 2210 वाके ग्राम शीलगांव निर्णय दिनाक 16.06.2016 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 10/6/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

श्रीमानजी